# न्यायालय जिला कलेक्टर, खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

| प्रकरण संख्या | रजि० नं0 2026 / | प्रवेश तिथि | निर्णय दिनांक |
|---|---|---|---|
| 15 / 127 / 2025 | 2025 / 344 | 04.08.2025 | 3-6-2026 |

1– रामस्वरूप पुत्र बालकिशन,
2– चन्दो पुत्री लक्ष्मीबाई,
3– कोशल्या बेवा रामचन्द,
4– दयाराम,
5– राजेन्द्र,
6– महेन्द्र,
7– लखमी पुत्रान रामचन्द्र,
8– फूलबाई पुत्री रामचन्दर जाति चाकर निवासी किशनगढबास तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

(प्रार्थी)

बनाम

1– नानगो पत्नी मातादीन मृतका,
1/1– शकुन्तला पुत्री ननगो पत्नी दुलीचन्द चाकर,
1/2– ग्यारसी पुत्री ननगो पत्नी खूबीराम चाकर जौडिया,
1/3– भगवती पुत्री ननगो पत्नी राजू चाकर कोटकासिम,
1/4– कमला पुत्री ननगो पत्नी अशोक,
1/5– कृष्णा पुत्री ननगो पत्नी कमल,
1/6– सुनिता पुत्री ननगो पत्नी सुरेश चाकर निवासी अलवर।
2– बाबूलाल पुत्र मातादीन माता स्व0 ननगो,
3– रमेश पुत्र मातादीन माता स्व0 ननगो जाति चाकर निवासी किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 24 दीवानी प्रकिया संहिता न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास में विचाराधीन उनवान नानगो बनाम रामस्वरूप अन्तर्गत धारा 88, 89 आर.टी. एक्ट 1955 प्रकरण प्रकरण संख्या 114 / 2013 को दीगर राजस्व न्यायालय को स्थानान्तरित किये जाने बाबत।

उपस्थितिः
1– श्री अनिल नरूका एड0 — वकील प्रार्थी
2– श्री मोहम्मद ईमरान एड0 — वकील अप्रार्थी 2,3

## आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिल प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र में मुख्यतः यह कथन किया गया है, कि तहत अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास के समक्ष अप्रार्थी वादी ननगो (मृतक) के द्वारा प्रार्थी / प्रतिवादी के विरूद्व पेश किया गया है, जिसकी कार्यवाही विचाराधीन है, विचाराधीन

जिला कलक्टर
खैरथल-तिजारा (राज०)

वाद उनवान नानगो बनाम रामस्वरूप वगै0 धारा अन्तर्गत 88, 89 आर.टी.एक्ट 1955 में अप्रार्थी वादी ननगो से तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी साजबाज हो चुके है, अप्रार्थी प्रभावशाली व्यक्ति है, उसने राजस्व अधिकारियो से साठगांठ कर साजबाज हो गये है। न्यायालय के पीठासीन अधिकारी निष्पक्ष कार्यवाही नही कर रहे है, तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने की संभावना नहीं है, इसी आधार पर उक्त प्रकरण को किसी अन्य दीगर राजस्व न्यायालय में स्थानांतरित किए जाने की प्रार्थना की गई है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीयान की तलवी जर्ये नोटिस की गयी एंव तहत अदालत का बिन्दूवार जवाब तलब किया गया। अप्रार्थी अभिभाषक ने अपनी बहस में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को नकारते हुऐ निवेदन किया है, कि तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी द्वारा विधिक प्रावधानुसार प्रकरण की सुनवाई की जा रही है, प्रार्थना पत्र में गलत तथ्य अंकित किये है।

प्रार्थना पत्र तथा प्रस्तुत आधारों पर विचार किया गया। स्थानांतरण की शक्ति एक असाधारण शक्ति है, जिसका प्रयोग केवल उसी दशा में किया जाता है, जब अभिलेख पर ऐसी ठोस, वस्तुनिष्ठ एवं विश्वसनीय सामग्री उपलब्ध हो, जिससे यह स्पष्ट प्रतीत हो कि संबंधित न्यायालय के समक्ष निष्पक्ष सुनवाई संभव नहीं है, अथवा न्याय के हित में प्रकरण का स्थानांतरण अनिवार्य है। केवल आशंका, अनुमान, असंतोष, या किसी पक्षकार द्वारा लगाए गए सामान्य आरोप, स्थानांतरण का पर्याप्त आधार नहीं माने जा सकते।

प्रार्थी द्वारा यह आरोप अवश्य लगाया गया है, कि अप्रार्थीयान प्रभावशाली व्यक्ति है, उसने राजस्व अधिकारियो से साठगांठ कर साजबाज होकर निष्पक्ष कार्यवाही नही कर रहे है, किन्तु इन आरोपों के समर्थन में कोई स्वतंत्र, ठोस अथवा विश्वसनीय सामग्री प्रस्तुत नहीं की गई है। इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि अधीनस्थ न्यायालय पक्षपाती है, या न्यायिक कार्यवाही निष्पक्ष रूप से नहीं चलेगी।

यह भी उल्लेखनीय है कि प्रकरण अभी विचाराधीन है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यदि कोई आदेश पारित किया गया है, जिससे प्रार्थिया असंतुष्ट है, तो उसके विरुद्ध विधि में उपलब्ध उपयुक्त उपाय अपनाए जा सकते हैं। स्थानांतरण का अधिकार इस उद्देश्य से नहीं है, कि कोई पक्षकार केवल अपने मनोनुकूल न्यायालय चुन सके या मात्र आशंका के आधार पर कार्यवाही को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय भेज दिया जाए।

प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों से यह भी परिलक्षित नहीं होता कि तहत अदालत को प्रकरण सुनने से विधिक रूप से वंचित करने वाला कोई क्षेत्राधिकार संबंधी, वैधानिक अथवा प्रक्रियात्मक दोष विद्यमान है। न ही ऐसा कोई विशेष कारण सामने आया है, जिससे यह कहा जा सके कि न्याय के हित में स्थानांतरण अपरिहार्य है।

अतः समस्त तथ्यों, प्रार्थना पत्र के आधारों तथा उपलब्ध सामग्री पर विचार करने के उपरांत मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि प्रार्थी द्वारा उठाई गई आशंकाएँ केवल सामान्य एवं आरोपात्मक प्रकृति की हैं, जो किसी विचाराधीन प्रकरण को स्थानांतरित करने हेतु पर्याप्त नहीं हैं। प्रार्थिया स्थानांतरण हेतु कोई ठोस एवं न्यायोचित आधार स्थापित करने में असफल रहा है।

## आदेश

फलस्वरूप, प्रार्थी रामस्वरूप पुत्र बालकिशन वगै0 जाति चाकर निवासी किशनगढबास तहसील किशनगढबास जिलाखैरथल–तिजारा (राजस्थान) विधि अनुसार उनवानी नानगो बनाम रामस्वरूप वगै0 राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 आर.टी.एक्ट प्रकरण संख्या 114/2013 का विधिवत निस्तारण करें। प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपि आवश्यक सूचना एवं अनुपालनार्थ संबंधित न्यायालय को प्रेषित की जाए।

आदेश आज दिनांक 3-6-2026 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अतुल प्रकाश )
जिला कलक्टर
खैरथल–तिजारा (राजस्थान)